02/3/2021

फरावली पेशकर्ता वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी को बार-बार रूक रूक कर न्यायालय समक्ष न्यायालय समय समाप्ति तक अवसर 10, 11, 12, 01, 03, 05, 5.30 लगाया गया परन्तु वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए। अतः वकील प्रार्थी की अनुपस्थिति की समाप्ति हेतु बार-बार अवसर देने के पश्चात भी कोई तामील प्रतिवादी की नहीं करवाई है पत्रावली अष्टम दायरी अष्टम पेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली को अन्तर न्यायालय प्रतिलिपि प्रेषण हेतु समाप्त किया जाता है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.11.01 15:16:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner